क्रमांक 60/4/86-एस (1)

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त तथा
उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)
दिनांक चण्डीगढ़, 10 जून, 1986

विषय :—जिला अधिकारियों तथा उपमण्डल स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 1430-3 एस-71/5968, दिनांक 30 मार्च, 1971 तथा परिपत्र क्रमांक 3062-3 एस-73, दिनांक 14 अगस्त, 1973 में निहित हिदायतों की ओर दिलाऊं जिसके अनुसार जिलों में सभी राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पहले उनके रिपोर्टिंग एथोरिटीज द्वारा initiate करने के पश्चात् उपायुक्त निर्धारित पहलुओं पर अपने रिमार्कस रिकार्ड करके सीधे सम्बन्धित विभाग के रिव्यूइंग एथोरिटी के पास रिपोर्ट भेजते हैं। इसी प्रकार उपमण्डल स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट उनके रिपोर्टिंग एथोरिटी द्वारा initiate करने उपरान्त उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) निर्धारित पहलुओं पर अपने रिमार्कस रिकार्ड करके सम्बन्धित विभाग के रिव्यूइंग एथोरिटी के पास भेजते हैं। सरकार के ध्यान में यह आया है कि कई मामलों में उपायुक्तों/उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) द्वारा ये रिपोर्टें सम्बन्धित विभाग के रिव्यूइंग एथोरिटी के पास काफी देरी से भेजी जाती हैं, जिस कारण उन अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों जैसा कि पदोन्नति, दक्षतारोध पार करने इत्यादि में अनावश्यक देरी होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि जब भी आपके पास अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टें निर्धारित पहलुओं पर टिप्पणी रिकार्ड करवाने हेतु प्राप्त हो तो उन रिपोर्टों पर अपनी टिप्पणी शीघ्र अंकित करके सम्बन्धित विभाग के रिव्यूइंग एथोरिटी के पास शीघ्रातिशीघ्र भेज दिया करें।

भवदीय,
हस्ताक्षर
संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृष्ठांकन क्रमांक 60/4/86-एस (1), दिनांक चण्डीगढ़, 10 जून, 1986

एक प्रति डा० एस० खन्ना, जनरल सैक्रेट्री, हरियाणा सिविल मैडीकल सर्विसज एसोसिएशन, मकान नं० 1008, डी० एल० एफ० कालौनी, रोहतक को उनके पत्र क्रमांक एच० सी० एम० एस०/एच० आर०/590, दिनांक 28-4-1986 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।